

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी

3898-II-16

लालेप्रसाद पुत्र रामसखा बैस

निवासी - साकिन गन्नई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

-----आवेदक

बनाम

- 1- मु0 फुलेसरी पत्नी रामसहाय बैस
- 2- चौरसिया पत्नी लाले प्रसाद बैस
निवासीगण- साकिन गन्नई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
- 3- हरी प्रसाद पुत्र बैजनाथ बैस
निवासी-साकिन गन्नई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
- 4- मिथलेश कुमार पुत्र रामानुज बैस
निवासी-साकिन गन्नई, तहसील सरई, हाल पता बेटहाडाड,
तहसील देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
- 5- सुमन देवी पत्नी पवन कुमार अग्रवाल
निवासी-साकिन गन्नई, तहसील सरई, हालपता सा0 गोरबी, तहसील
चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
- 6- विश्वनाथ पुत्र रामछबीला काछी
- 7- रामकृपाल पुत्र जगनारायण काछी
निवासीगण -साकिन गन्नई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
- 8- बृहस्पती प्रसाद साकेत तत्कालीन पटवारी- पटवारी हल्का गन्नई,
तहसील सरई, वर्तमान पटवारी हल्का गोडबहरा, तहसील सरई
जिला सिंगरौली (म.प्र.)
- 9- म0 प्र0 शासन

-----अनावेदकगण

दुष्यन्त कुमार सिंह-एस

17/11/16

17-11-16

544
17-11-16

दुष्यन्त कुमार सिंह

एडवोकेट

म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-3


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

35

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक - R/3898/II/16, सिंगरौली

आलम प्रसाद फुलेसरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8/11/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>हुष्यंत कुमार सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>सिंगरौली</u> के प्रकरण क्रमांक <u>313/B-121/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>05/05/16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>23/4/19</u> को संभागीय आयुक्त <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p> सदस्य</p>